न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितिः– धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 445/26

1. डा0 वरूण कुमार, पे0– रविन्द्र सिंह
   साकिन–मुंगराहा, थाना–तरयानी, जिला–शिवहर
2. डा0 अरूण कुमार सिंह, पे0– काशीनाथ सिंह
   साकिन–केसरी, थाना–चॉद, जिला–कैमूर.....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार

12.03.2026

गिरियक थाना कांड संख्या–87/2025 अंतर्गत धारा– 191(2), 190, 115(2), 132, 223(b), 109, 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक डा0 वरूण कुमार एवं डा0 अरूण कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को प्राप्त करा दिया गया है। आवेदकगण की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर आज सुनवाई की गयी।

उक्त जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता ने जमानत आवेदन के समर्थन में कथन किये है कि सूचक सि0–308 ईश्वर पासवान के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध गिरियक थाना कांड संख्या–87/2025 दर्ज किया गया। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम जमानत आवेदन या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। वह बिल्कुल निर्दोष है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप आकृष्ट नहीं होता है। वह न्यायालय के आदेश को मानने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

सूचक सि0 308 ईश्वर पासवान के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि दिनांक–04.03.2025 एवं दिनांक–05.03.2025 को समय 12.00 बजे रात्रि में सूचक ड्यूटी पर तैनात थे। मुख्य द्वार पर गाड़ी लगी हुई थी, जिसको हटाने के लिए सूचक के द्वारा निवेदन किया गया। गाड़ी में बैठे डाक्टर द्वारा सूचक को जाति सूचक गाली देते हुए हॉस्टल से अन्य 50–100 डाक्टर को बुला लिया तथा सभी लोग मारपीट करने लगे। सूचक अपने साथी सिपाही–317 कुंदन प्रसाद को बुलाया तो उसको भी लाठी डंडा से मारपीट कर सर फोड़ दिये। जख्मी का इलाज उसी हॉस्पिटल में हुआ।

क्रमशः

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितिः– धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 445/26

डा0 वरूण कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार

लगातार

12.03.2026

जमानत के विन्दु पर उभय पक्षों का तर्क सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक डा0 वरूण कुमार एवं डा0 अरूण कुमार सिंह के विरूद्ध अभियोग है कि वह अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक सिपाही ईश्वर पासवान एवं सिपाही कुंदन प्रसाद को मारपीट कर जख्मी कर दिया तथा सूचक को जाति–सूचक शब्द कहकर अपमानित किया। केस दैनिकी के कंडिका–02 में सूचक तथा कंडिका–03 एवं 05 में साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन किया है। केस दैनिकी के कंडिका–19 के अवलोकन से प्रतित होता है कि CCTV फुटेज से घटना में आवेदकगण की पहचान की गई है। चिकित्सक द्वारा जख्मी ईश्वर पासवान एवं कुंदन प्रसाद के शरीर पर साधारण प्रकृति जख्म पाया गया है। कंडिका–35 पर्यवेक्षण टिप्पणी के अवलोकन से प्रतित होता है कि घटना में आवेदकगण की संलिप्तता को सत्य पाया गया है। वाद का अनुसंधान जारी है। धारा–18 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत उक्त वाद में अग्रिम जमानत पोषणीय नहीं है। इस स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचना करने के उपरांत न्यायालय द्वारा आवेदक डा0 वरूण कुमार एवं डा0 अरूण कुमार सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)
ह0/–
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम्
सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
नालन्दा, बिहारशरीफ।